प्रेषक, संख्या-113/उन्तीस(2)/18-2(95 पे0)/2016

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांकः 14 मई,2018

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में "ग्रामीण पेयजल सैक्टर" मद के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 14/वि0अनु0/ 02/ शा0अनु0 /2018-19 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 02 अप्रैल,2018 के संलग्न सूची में वर्णित दिनांक 31-03-2018 तक स्वीकृत/चालू निर्माण कार्यों की कुल अनुमोदित लागत रू0 3970.010लाख के सापेक्ष वर्तमान तक अवमुक्त की गयी रू0 1903.163लाख को कम करते हुए अवशेष रू0 2066.847लाख के सापेक्ष चालू निर्माण कार्यों को सम्पादित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 300.00लाख(रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(ii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(iv) चालू निर्माण कार्यों में सर्वप्रथम धनराशि उन योजनाओं हेतु स्वीकृत की जायेगी जहाँ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की स्थिति अच्छी हो।

(v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

(vi) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- 01-जलापूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-ग्रामीण पेयजल सैक्टर-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1805130713 दिनांक 09 मई,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपभोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वि० वि० के शासनादेश संख्या- 519/3(150)-2017 / XXVII (1) /2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018में दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या– 1134 /उन्नीस(2)/18–2(95 पे0)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सैन्टर सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।